वी. श्रीनिवास, आई.ए.एस.
V. Srinivas, IAS
सचिव
SECRETARY

सत्यमेव जयते

आजादी का अमृत महोत्सव

भारत सरकार,
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय,
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग,
सरदार पटेल भवन, संसद मार्ग,
नई दिल्ली-110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS,
DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE REFORMS & PUBLIC GRIEVANCES
SARDAR PATEL BHAWAN, SANSAD MARG,
NEW DELHI-110001

अपील

आप सभी को हिंदी दिवस (14 सितंबर) की असीम शुभकामनाएं।

राजभाषा हिंदी में श्रेष्ठ कार्य निष्पादन के लिए, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग को, 300 से कम कार्मिक वाले मंत्रालयों/विभागों की श्रेणी में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार (प्रथम) के लिए चयनित किए जाने पर विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बहुत-बहुत बधाई।

किसी लोकतांत्रिक देश में राजभाषा अर्थात् सरकारी काम-काज की भाषा तभी सार्थक भूमिका अदा कर सकती है, जब वह देश के जन-सामान्य से जुड़ी हो, प्रयोग करने में आसान हो, अधिकांश देशवासी उसे समझते हो और वह जन सामान्य में लोकप्रिय हो। हिंदी की इन्हीं विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए 14 सितंबर, 1949 को, हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। यह हमारा संवैधानिक दायित्व है कि हम अपना अधिक से अधिक सरकारी काम-काज हिंदी में ही करें और अपने सहयोगियों को भी हिंदी में कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करें।

हिंदी केवल भाषा ही नहीं, अपितु राष्ट्रीय स्वाभिमान एवं सांस्कृतिक गौरव का विषय है। हिंदी के सरल एवं सुस्पष्ट शब्दों को कार्यालयी काम-काज में प्रयोग में लाना चाहिए। टिप्पणी, पत्राचार, ई-मेल आदि के लिए आम बोलचाल के शब्दों के प्रयोग से हिंदी का चलन बढ़ेगा।

मुझे प्रसन्नता है कि प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में हमेशा की भांति 14 सितंबर से 28 सितंबर तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। पखवाड़े के दौरान विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी और पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित करके विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।

विभाग और एनसीजीजी के सभी कार्मिकों से मेरा आग्रह है कि वे अपने-अपने कार्यालय में हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिताओं में बढ़-चढ़कर भाग लें और न केवल हिंदी पखवाड़े के दौरान, अपितु वर्ष भर अपना सरकारी काम-काज, सहज और सरल हिंदी में करते हुए राष्ट्र का गौरव बढ़ाने में अपना योगदान दें।

हम सभी का संवैधानिक दायित्व है कि हम राजभाषा से संबंधित अनुदेशों का पालन, उतनी ही दृढ़ता से करें जिस प्रकार हम अन्य सरकारी निदेशों और अनुदेशों का करते हैं।

जय हिंदी, जय भारत।

(वी. श्रीनिवास)

सूचना का अधिकार